



**भारत सरकार**  
**पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**  
**एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ**  
**Ministry of Environment, Forest & Climate Change**  
**Integrated Regional Office, Lucknow**



Kendriya Bhawan, 5<sup>th</sup> Floor, Sector-H, Abojan, Lucknow-226024, Telefax-2326696  
Email: rocc.lko@moefcc.nic.in

पत्र सं.: ४३१/यूपी०/०६/३४/२०१८/एफ.सी./१२

दिनांक: 10.04.2023

सेवा में

अपर मुख्य उचित,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन, बापू नवन, लखनऊ।

आँगनजाइन प्रस्ताव संख्या—FP/UP/Others/13881/2015

विषय: कार्यालय स्वीकृति (Ex-post-facto) के अंतर्गत अलीगढ़-रामधाट मार्ग (एम०टी०आर०-105) किमी० 15.150 की वर्धी पट्टी पर ग्राम उखलाना के खसरा सं० 1470 में एसार और्याल लिंग द्वारा विकारित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.0768 हेतु 0 संरक्षित बनभूमि का विना वृक्ष पारन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुभूति के सम्बन्ध में।

संदर्भ: मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ०प्र० का पत्रांक 2639/11-सी—FP/UP/Approach/13881/2015, दिनांक 16.0.2023

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संचित (वन), उ०प्र० का पत्रांक 619/14-2-2017-800(58)/2017, दिनांक 03.08.2017 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयाकृत प्रस्ताव में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1990 की धारा-२ के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मार्गी गई थी।

प्रकरण को दिनांक 28.03.2023 को आहुत स्वीकृत संशक्त अनियत (REC) की बैठक के समय REC एजेण्डा 3.5 (य०पी०) प्रस्तुत किया गया था। स्वीकृत संशक्त संभिति (REC) द्वारा प्रकरण को कारिप्य विन्दुओं पर आवश्यक जानकारी के अन्वय में आस्थगित (Defor) कर दिया गया था। अतः मुझे आपको यह सुनित करने का निर्देश हुआ है कि प्रकरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित आवश्यक सूचना/जानकारी उपलब्ध कराइ जाए, जिससे प्रकरण में आगामी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके—

1. The State Govt. needs to initiate disciplinary action against the official concerned for not being able to prevent user of forest land for non-forestry purpose without prior approval of Government of India. A report with full details of violation, authority responsible for violation etc. needs to be submitted by the State Government.
2. The penalty for violation shall be equal to NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of violation as reported by the inspecting officer with maximum up to five (5) times the NPV plus 12 percent simple interest till the deposit is made.

मदरीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (इमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. जिलाधिकारी, अलीगढ़।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।
5. डिवीजनल मैनेजर, एसार और्याल लिंग, ए-५, सेक्टर-३, नोएडा।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ क्र० वेक्साइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डॉ० प्राची गंगवार)  
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक-३२९२/११सी—FP/UP/Others/13881/2015 दिनांक, लखनऊ, अप्रैल १५, 2023

प्रतिलिपि— वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त विन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि— प्रभागीय निदेशक, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा विन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में वन संरक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि— डिवीजनल मैनेजर, एसार और्याल लिंग ए-५, सेक्टर-३, नोएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वन संरक्षक अलीगढ़ वृत्त अलीगढ़  
पत्रांक ३२९२/१५-१५। दिनांक १९।०४।२३

(अनुपम गुप्ता)  
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उ०प्र०, लखनऊ।

अग्रेषित

Lt. ST Page No. 168

समाप्ति-प्रभागीय निदेशक, अलीगढ़  
सूचनार्थ इकं उपरोक्त विन्दुओंपर  
आवश्यक टेक्निकल वास्तविकता  
उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रभागीय वन संरक्षक  
कृ. वृत्त, अलीगढ़

वन संरक्षक